

माननीय उच्चतम न्यायालय (प्रकरण क्रमांक WP 1080/2022) के आदेशानुसार पूरे मध्यप्रदेश में B.Sc Nursing में प्रवेश की रोक 2023 से लगी हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में अंतिम निर्णय एक दो माह के अंदर आने कि संभावना है। एवं अंतिम निर्णय के पश्चात ही भोपाल नर्सिंग कॉलेज बीएमएचआरसी, भोपाल में सत्र 2024 - 2025 में प्रवेश प्रारंभ किए जाएंगे।